भारत का राजपत्र : फरवरी 15, 2003/माघ 26, 1924

MINISRTY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

Office of the Development Commissioner (Small Scale Industries)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 31st January, 2003

G.S.R. 69.—In the notification of the Covernment of India in the Ministry of Small Scale Industries number G.S.R. 384, dated the 5th September, 2002, published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 21st September, 2002, at pages 2010 to 2013, at page 2011, in the Schedule in column 3, for the word "Gazetted", read "Non-

[F. No. A-12018/1/2002-A(NG)]

D. K. GAUTAM, Dy. Director (Administration)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2003

सा.का.नि. 70.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में आचार्य (सामुदायिक चिकित्सा), उपाचार्य (सामुदायिक चिकित्सा) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (सामुदायिक चिकित्सा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संश्चिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (सामुदायिक चिकित्सा), उपाचार्य (सामुदायिक चिकित्सा) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (सामुदायिक चिकित्सा) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान,—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिदिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरहेता.-वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज़ेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति. — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

			民族的では現代	Sel in	•	
				૱ૢૺૼૼ	ची	
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नई
			A Horizon A filipitation of the A filipitation A filipitation of the	चयन-सह- ज्येष्ठता अध् अचयन पद	สต (1019) (10 เดียง (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (10	G.S.R. 6
1	2	3	4	5	6	Tri 7 ase
नाचार्य सामुदायिक वकित्सा)	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क' राजपत्रित अननु- सचिवीय	18600-500- 22100 रु. और प्रैक्टिस- बंदी भत्ता	unerner gre Orandi no 2 fromo no 3 fromo no 1 nografi de	50 वर्ष से अधिक नहीं। सरकारी सेवर्कों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्मीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-	ांड उस,कार्तन जानेव्द्यान्तम् और ा
थि भर्ती कि	ए जाने वाले व्यवि	स्तयों के लिए	अपेक्षित, शैक्षिक	और अन्य अ गोर्थविक ह	व्यक्तियों के लिए विहित कोई हो आयु और शैक्षिक अर्हताएं	क्रमानी कार्याप्रमुख गकी अवधि, यदि गने ७ अप्र
		स्तयों के लिए 8	अपेक्षित, शैक्षिक	और अन्य अ	के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) हताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले परिवीक्ष व्यक्तियों के लिए विहित कोई हो आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	काली कामीहासक 11 की अवधि, यदि नगे के क्रिक्ट कालगढ के कि क्रिक्ट कालगढ 10 क

भारत का राजपत्र : फरवरी 15, 2003/माघ 26, 1924

[भाग]]—खण्ड 3(i)]

भर्ती को पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा आवश्चकाः (1) चार्याच आव्यच्यान

12

	the second s
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : I. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वशासी
	्रांत्र संगठनों/अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी:—ाम सिम्बी (म)
	(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या नि
	 (ii) जिन्होंने 16400-20000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है; और
	(ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए
	विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं।
	 उपाचार्य (सामुदायिक चिकित्सा) की श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी पर भी
	िन्नोंने नाम केली में जे वर्ष जिमामित मोता की है, बाह्य त्यक्तियों के साथ विचार

जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति

पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। 347217

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवदेन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

यदि विभागीय प्रोत्रति समिति है, तो उसकी	भैर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ ल से परामर्श किया जाएगा।	ोक सेवा आयोग	
13		14	e e constante en estatutar
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए 1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन 2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंध 3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महारि अस्पताल, चंडीगढ़	क्ष करना आवश्यक ह ।	NO TRIPALIT	
1 2 3	4 5	6	7.
उपाचार्य 01* साधारण (सामुदायिक (2002) केन्द्रीय सेव चिकित्सा) *कार्यभार के समूह 'क' आधार पर राजपत्रित परिवर्तन किया अननु- जा सकता है। सचिवीय	16350-450- योग्यता त्रा 18600 -500- द्वारा चयन 20100रु. और	50 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर	हां

314 91/03-2

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15, 2003/MAGHA 26, 1924

भने की प्राणमां मुख्य के से से से मालत होने हैं।

आवश्यक: (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् 1 956 (1956 का 102) की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।

8

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम. डी. (सामुदायिक और निवारण चिकित्सा)/एम. डी. (सामुदायिक चिकित्सा) या समतुल्य।

(iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यायल/शिक्षण संस्था में सहायक आचार्य/ज्येष्ठ प्राध्यापक/प्राध्यापक के रूप में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव।

टिप्पण 1 :— अईताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों को दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिण्णा 2 :— अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

वाछनीय : इन्डेक्स मेडिक्स/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन ।

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सोधी भर्ती द्वारा।

11

[PART II-SEC. 5(i)]

मोन्सविरप्रसिमित्तुबित (निवर्धक अवर्गत अल्पतन्तर्गत्। संस्थित भी मैं) जिस्तक न हा सान म रहीकी पती हाल।

प्रोन्नतिः ऐसा ज्येष्ठ प्राध्यापक (सामुदायिक चिकित्सा) जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

12

- केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वाशासी संगठनों/ अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी :—
- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या
 - (ii) जिन्होंने 14300-18300 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की हैं; और
- (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं है।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवदेन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

STATEN/03-

मिगा सम्पूर 1. 2. 3. 4.

प्राश

¥)

चि

And the second s				101000		i and and the spec			365
mana from t Give	13	month and	a the entiretine when and	. for an		6 - D - C -	14		and the second second
14.5	आगाच आजात त, चंडीगढ़ प्रशा		ते के संबंध में वि		And the state of the second		प्रतिनियुक्ति (जि है) नियुक्ति करते		
-			न, चंडीगढ़ प्रशास					S. (4.5.) MZ (58.0) 44 24	
	ासुविज्ञान विकास र्व, सरकारी आ यु				ज		त्रना आवश्यक है		a second a second
	चंडीगढ़ .	i içiri içiri		—सदस्य		চাঁৱে লেকা	वर्धाः व्यक्तीया	र्ष, संस्वतार्ग, ह	ा प्रधानात्वा
	वेभाग का आंचा	र्य और विभागा	ध्यक्ष, सरकारी			1		্রান্টাল (3171/376
आयुर्विज्ञान	न महाविद्यालय	और अस्पताल		-सदस्य		Content Gerein	representation former	to en intern	and the
		Sector (B		**	$= \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{i=1}^{N_{i}} \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{i=1$	and the second section of the second	NAME FOR	The second second	Martin Barris
1	2	3	à .	5		6	or's lations.	ana ana ary ang anina latang Ang ang	7
ोष्ट (02*	साधारण	14300-400-			धेक नहीं।	esteringen os	नह	हीं
	(2002)		15900 -450-	होता		ों के लिए केन्द्रीय कर्जा के लिए केन्द्रीय			
	*कार्यभार के	समूह 'क'	18150 रु. और प्रैक्टिस-बंदी			र अनुदेशों या आवे थिल की जा सक			
	आधार 'पर परिवर्तन किया	राजपत्रित अननु-	प्राक्टस-बदा भत्ता			पु-सीमा अवधारि			
	जारपतन किन जा सकता है ।	सचिवीय	7.01			ख भारत में अभ्य			
	ar vravar e r	va ca i					ाई अंतिम तारीख		
				nie Wastabi		त्वह अंतिम तार			
						ज्णाचल प्रदेश, गि		.S.R. 70.	
						पुरा, सिक्किम,		olloi sit 25.	nan yoquu Oʻn nabsal
						TA TAR ISTURIO	The state of the second second	「「「古法者にどうちを見るべきした」	C. A. Adaman
							। प्रदेश के लाहौल		O Intineni
					और स्पीति जि	नले तथा चम्बा जि	ले के पांगी उप-	handigarh.	
					और स्पीति जि खंड, अंदमान	नले तथा चम्बा जि और निकोबार	ले के पांगी उप– द्वीप या लक्षद्वीप	handigarh.	
			المربية (عمر) المربية (عمر)		और स्पीति जि खंड, अंदमान के अभ्यर्थियों	तले तथा चम्बा जि और निकोबार के लिए विहित व	ले के पांगी उप– द्वीप या लक्षद्वीप ती गई है।)	handigach.) Short (Alex) - Theorem	
		hini domin Provinski	المربية (عمر) المربية (عمر)	incont of	और स्पीति जि खंड, अंदमान के अभ्यर्थियों	तले तथा चम्बा जि और निकोबार के लिए विहित व	ले के पांगी उप– द्वीप या लक्षद्वीप	handigach.) Short (Alex) - Theorem	
1. A.		8	المربية (عمر) المربية (عمر)	terest to	और स्पीति जि खंड, अंदमान के अभ्यर्थियों	तले तथा चम्बा जि और निकोबार के लिए विहित व	ले के पांगी उप– द्वीप या लक्षद्वीप ती गई है।) 10	handigath i Short title t 1 Tho Nedicine Riedicine	.1
<u>सवस्यक</u> : (1	i) भारतीय आयु	8 विंज्ञान परिषद्	्भाषात्रात्वयम् १ ९५	6 (1956 का '	और स्पीति जि खंड, अंदमान के अभ्यर्थियों 102) ला	तले तथा चम्बा जि और निकोबार के लिए विहित व 9 गू नहीं होता	ले के पांगी उप– द्वीप या लक्षद्वीप ती गई है।) 10 एक वर्ष	handigath i Short fitle i The Fledicine Lafts) it (2) They st	1. (<u>1)</u> (<u>1)</u>
ही अन्स्चियों	ं में सम्मिलित व	8 विंज्ञान परिषद् होई मूल विश्व	अधिनियम 1 95	6 (1956 का नुल्य अर्हता अँ	और स्पीति जि खंड, अंदमान के अभ्यर्थियों 102) ला रि	तले तथा चम्बा जि और निकोबार के लिए विहित व 9 गू नहीं होता	ले के पांगी उप– द्वीप या लक्षद्वीप ती गई है।) 10 एक वर्ष	handigath i Short fitle i The Fledicine Lafts) it (2) They st	1. (<u>1)</u> (<u>1)</u>
ते अन्स्चियों	ं में सम्मिलित व	8 विंज्ञान परिषद् कोई मूल विश्व टर या भारतीय	अधिनियम 1 95 विद्यालय या समय आयुर्विज्ञान रजिर	6 (1956 का नुल्य अर्हता अँ स्टर में रजिस्ट्र्	और स्पीति जि खंड, अंदमान के अभ्यर्थियों 102) ला रि	तले तथा चम्बा जि और निकोबार के लिए विहित व 9 गू नहीं होता	ले के पांगी उप– द्वीप या लक्षद्वीप ती गई है।) 10 एक वर्ष	handigath i Short fitle i Short fitle i Short fitle i Short fitle These rules Number of	1.
ती अनुसूचियों कसी राज्य आ	ं में सम्मिलित व	8 विंज्ञान परिषद् कोई मूल विश्व टर या भारतीय	अधिनियम 1 95 विद्यालय या समय आयुर्विज्ञान रजिर	6 (1956 का नुल्य अर्हता अँ स्टर में रजिस्ट्र्	और स्पीति जि खंड, अंदमान के अभ्यर्थियों 102) ला रि	तले तथा चम्बा जि और निकोबार के लिए विहित व 9 गू नहीं होता	ले के पांगी उप– द्वीप या लक्षद्वीप ती गई है।) 10 एक वर्ष	handigath i Short fitle i Short fitle i Short fitle i Short fitle These rules Number of	1.
ते अनुसूचियों कसी राज्य आ ोना चाहिए।	ां में सम्मिलित व ायुर्विज्ञान रजिस्ट	8 विंज्ञान परिषद् कोई मूल विश्व दर या भारतीय	अधिनियम 1 95 विद्यालय या सम्प आयुर्विज्ञान रजिर	6 (1956 का तुल्य अर्हता अँ स्टर में रजिस्ट्र्	और स्पीति जि खंड, अंदमान के अभ्यर्थियों 102) ला रि	तले तथा चम्बा जि और निकोबार के लिए विहित व 9 गू नहीं होता	ले के पांगी उप– द्वीप या लक्षद्वीप ते गई है।) 10 एक वर्ष	handigath i Short fitler 1 The Nedicine Rafiel at Theso rules Mumber of	1.
ती अनुसूचियों कसी राज्य आ तेना चाहिए। (ii) किसी मान चकित्सा)/एम	ां में सम्मिलित व ायुर्विज्ञान रजिस्ट त्यताप्राप्त विश्ववि न. डी. (सामुदा	8 विंज्ञान परिषद् कोई मूल विश्व दर या भारतीय वद्यालय/संस्था यिक चिकित्सा	अधिनियम 1 95 विद्यालय या सम्द आयुर्विज्ञान रजिर से एम. डी. (साग्) या समतुल्य ।	6 (1956 का तुल्य अर्हता अं स्टर में रजिस्ट्र् ग़जिक और नि	और स्पीति जि खंड, अंदमान के अभ्यर्थियों 102) ला 1र 1कृत वारण	तले तथा चम्बा जि और निकोबार के लिए विहित व 9 गू नहीं होता कर जिस्ता कर कर जिस्ता के सित्त कर कर जिस्ता कर कर जिस कर कर जिस कर कर जिस कर जिस कर कर जिस कर कर जिस कर जिस कर कर जिस कर कर जिस कर कर जिस कर जिस कर कर जिस कर कर जिस कर जिस कर कर जिस कर कर जिस कर जिस कर जिस के कर जिस कर कर जिस कर कर कर जिस कर कर जा कर कर जा कर जा कर जा कर कर जा कर जा कर कर जा कर जा कर जा कर जा कर कर जा कर जा कर कर जा कर जा जा के जा कर जा कर जा कर जा जा का जा का जा कर	ले के पांगी उप– द्वीप या लक्षद्वीप ते गई है।) 10 एक वर्ष	bandigath i Short fitter Fledicine (2) Theorem (2) They sh (2) They sh (2) They sh (2) These rules for the fitter of received at the received at the	1,
ती अनुसूचियों केसी राज्य आ तेना चाहिए। (ii) किसी मान चकित्सा)/एम (iii) स्नातके	া में सम्मिलित ब ।युर्विज्ञान रजिस्ट न्यताप्राप्त विश्वरि न. डी. (सामुदा गेत्तर अर्हता प्राप	8 विंज्ञान परिषद् कोई मूल विश्व दर या भारतीय वद्यालय/संस्था विद्यालय/संस्था विक चिकित्सा न करने के प	अधिनियम 1 95 विद्यालय या समद आयुर्विज्ञान रजिर से एम, डी. (साम्) या समतुल्य। श्रचात् संबंधित f	6 (1956 का तुल्य अर्हता अँ स्टर में रजिस्ट्र् प्राजिक और नि वेशेषज्ञता में 1	और स्पीति जि खंड, अंदमान के अभ्यर्थियों 102) ला रि किसी	तले तथा चम्बा जि और निकोबार के लिए विहित व 9 गू नहीं होता हिन्दु के किस्ट्रा के किस्ट्रा के किस्ट्रा के किस्ट्रा के किस्ट्रा के किस्ट्रा के किस्ट्रा के कि	ले के पांगी उप– द्वीप या लक्षद्वीप ते गई है।) 10 एक वर्ष	handigath i Short fitle i Short fitle i Short fitle i Station (2011) (2011) Theso ruled Number of Muthor of Number of	1. (1) 2. 2. 3. 3. 3. 4. (her matte
ही अनुसूचियों केसी राज्य आ होना चाहिए। (ii) किसी मान चेकित्सा)/एम (iii) स्नातक फरनगणन फर	া में सम्मिलित व ायुर्विज्ञान रजिस्ट न्यताप्राप्त विश्वरि त. डी. (सामुदा गेत्तर अईता प्राप् रत्यापी आयर्थिया	8 विंज्ञान परिषद् कोई मूल विश्व दर या भारतीय वद्यालय/संस्था विद्यालय/संस्था यिक चिकित्सा य करने के प	अधिनियम 1 95 विद्यालय या समद आयुर्विज्ञान रजिर से एम. डी. (साम्) या समतुल्य। ाश्चात् संबंधितं f गणिक्षण संस्था में	6 (1956 का नुल्य अर्हता अँ स्टर में रजिस्ट्र् प्राजिक और नि वशेषज्ञता में 1 प्राध्यापक/रजि	और स्पीति जि खंड, अंदमान के अभ्यर्थियों 102) ला रि किसी स्टार/	तले तथा चम्बा जि और निकोबार के लिए विहित व 9 गू नहीं होता	ले के पांगी उप– द्वीप या लक्षद्वीप ते गई है।) 10 एक वर्ष	handigath i Short titler <u>Short titler</u> Number 1 (2) Eley an Aumber of Number of Number of Number of Stockortof (Nethoushite)	1. 1 3. 3. 3. 4 4. 3. 3. 3. 3.
ती अनुसूचियों कसी राज्य आ तेना चाहिए। ii) किसी मान चकित्सा)/एम (iii) स्नातके मान्यताप्राप्त सज् तीनियर रेजिडें	ां में सम्मिलित व ायुर्विज्ञान रजिस्ट न्यताप्राप्त विश्वरि त. डी. (सामुर्वा जेत्तर अर्हता प्राप् रकारी आयुर्विज्ञ इंट/परिदर्शक/ट्यू	8 विंज्ञान परिषद् कोई मूल विश्व य या भारतीय वद्यालय/संस्था यिक चिकिल्सा न करने के प न महाविद्यालय गूटर के रूप में	अधिनियम 1 95 विद्यालय या समन् आयुर्विज्ञान रजिर से एम. डी. (साम्) या समतुल्य। ाश्चात् संबंधित f ा/शिक्षण संस्था में 3 वर्ष का शिक्षण	6 (1956 का नुल्य अर्हता अँ स्टर में रजिस्ट्र् वाजिक और नि वशेषज्ञता में 1 प्राध्यापक/रजि अनुभव।	और स्पीति जि खंड, अंदमान के अभ्यर्थियों 102) ला रे केत वारण केसी स्ट्रार/	तले तथा चम्बा जि और निकोबार के लिए विहित व 9 गू नहीं होता के कि कि कि कि	ले के पांगी उप– द्वीप या लक्षद्वीप ते गई है।) 10 एक वर्ष 10	bandigath i Short fitter Short fitter Medicine (2) These rates (2) These rates (2) These rates (3) of bot of the rates) of the states) of the	1. (1) 2. 2. 2. 3. 3. 4 4 5. 5. (a)
ती अनुसूचियों कसी राज्य आ ोना चाहिए। ii) किसी मान वकित्सा)/एम (iii) स्नातके प्रान्यताप्राप्त सग ग्रीनियर रेजिडें टेप्पपा 1 :	া में सम्मितित व ायुर्विज्ञान रजिस्ट त्यताप्राप्त विश्वति म. डी. (सामुदाी जेत्तर अर्हता प्राप् रकारी आयुर्विज्ञ डंट/परिदर्शक/ट्य् – अर्हताएं, अन्य	8 विंज्ञान परिषद् कोई मूल विश्व दर या भारतीय वद्यालय/संस्था विक चिकित्सा न करने के प न महाविद्यालय पूटर के रूप में पथा सुअर्हित 3	अधिनियम 1 95 विद्यालय या समद आयुर्विज्ञान रजिर से एम. डी. (साग) या समतुल्य । १ चात् संबंधित f १/शक्षण संस्था में 3 वर्ष का शिक्षण तभ्यर्थियों की दश	6 (1956 का नुल्य अर्हता अँ स्टर में रजिस्ट्र् वाजिक और नि वशेषज्ञता में 1 प्राध्यापक/रजि अनुभव।	और स्पीति जि खंड, अंदमान के अभ्यर्थियों 102) ला रे केत वारण केसी स्ट्रार/	तले तथा चम्बा जि और निकोबार के लिए विहित व 9 गू नहीं होता के कि कि कि कि	ले के पांगी उप– द्वीप या लक्षद्वीप ते गई है।) 10 एक वर्ष	bandigath i Short fitter Short fitter Medicine (2) These rates (2) These rates (2) These rates (3) of bot of the rates) of the states) of the	1. (1) 2. 2. 2. 3. 3. 4 4 5. 5. (a)
ती अनुसूचियों कसी राज्य आ ोना चाहिए। वकित्सा)/एम वकित्सा)/एम वकित्सा)/एम वकित्सा)/एम वकित्सा)/एम वकित्सा)/एम वकित्सा)/एम वकित्सा)/एम वकित्सा व वकित्सा व व व व व व व व व व व व व व व व व व व	া में सम्मिलित व ायुर्विज्ञान रजिस्ट यताप्राप्त विश्वति म. डी. (सामुदा प्रेतर अर्हता प्राप रकारी आयुर्विज्ञ इंट/परिदर्शक/ट्यू – अर्हताएं, अन्य वेकानुसार शिथि	8 विंज्ञान परिषद् कोई मूल विश्व दर या भारतीय वद्यालय/संस्था यिक चिकित्सा य करने के प न महाविद्यालय पूटर के रूप में यथा सुआहित अ ल की जा सक	अधिनियम 1 95 विद्यालय या सम्प आयुर्विज्ञान रजिन से एम. डी. (साम्) या समतुल्य । ाश्चात् संबंधितं f ा/शिक्षण संस्था में 3 वर्ष का शिक्षण प्रभ्यर्थियों की दश् ती है ।	6 (1956 का तुल्य अर्हता अँ स्टर में रजिस्ट्र प्राजिक और नि वेशेषज्ञता में 1 प्राध्यापक/रजि अनुभव। ा में संघ लोक	और स्पीति जि खंड, अंदमान के अभ्यर्थियों 102) ला रे केसी स्ट्रार/ सेवा	तले तथा चम्बा जि और निकोबार के लिए विहित व 9 गू नहीं होता के कि कि कि कि कि के कि क	ले के पांगी उप– द्वीप या लक्षद्वीप ते गई है।) 10 एक वर्ष	bandigath i Short fitter Short fitter Pledicine (2) They sh (2) They sh (2) They sh (2) They sh (2) They sho (2) Short of Who has (1. (1) 2. 2. 3. 3. 4. 5. (a) (b)
ती अनुसूचियों कसी राज्य आ ोना चाहिए। ii) किसी मान वकित्सा)/एम वकित्सा)/एम वकित्सा)/एम वकित्सा)/एम वकित्सा)/एम वकित्सा)/एम वकित्सा 1:	ां में सम्मिलित व ायुर्विज्ञान रजिस्त यताप्राप्त विश्वति म. डी. (सामुदा प्रेतर अर्हता प्राप रकारी आयुर्विज्ञ उंट/परिदर्शक/ट्यू – अर्हताएं, अन्य वेकानुसार शिथि – अर्वस्रव संबंधी	8 विंज्ञान परिषद् कोई मूल विश्व दर या भारतीय विद्यालय/संस्था यिक चिकित्सा य करने के प न महाविद्यालय पूटर के रूप में पथा सुअहित अ ल की जा सक	अधिनियम 1 95 विद्यालय या सम्प आयुर्विज्ञान रजिन से एम. डी. (साग) या समतुल्य । श्चात् संबंधितं f ।/शिक्षण संस्था में 3 वर्ष का शिक्षण अभ्यर्थियों की दश ती है । ईताएं) संघ लो	6 (1956 का तुल्य अर्हता अँ स्टर में रजिस्ट्र प्राजिक और नि वेशेषज्ञता में 1 प्राध्यापक/रजि अनुभव । ाा में संघ लोक क सेवा आये	और स्पीति ि खंड, अंदमान के अभ्यर्थियों 102) ला 1र 1ेकृत वारण केसी स्ट्रार/ सेवा	तले तथा चम्बा जि और निकोबार के लिए विहित व 9 गू नहीं होता ह के कि के कि कि के कि कि कि कि के कि कि कि कि कि के कि क	লি के पांगी उप– द्वीप या लक्षद्वीप ते गई है।) 10 एक वर्ष	bandigath i Short fitter Short fitter Pledicine (2011) (2011) States of Planter of Planter of Namber of Planter of Stephalite vito insvi of iso ofgib	1. (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (5)
ते अनुसूचियों कसी राज्य आ ोना चाहिए। वकित्सा)/एम वकित्सा)/एम (iii) स्नातके प्राच्यताप्राप्त सन् तीनयर रेजिडें टेप्पण 1 :	ां में सम्मिलित व ायुर्विज्ञान रजिस्ट व्यताप्राप्त विश्वर्वि त. डी. (सामुदा जेत्तर अर्हता प्राप् रकारी आयुर्विज्ञ इंट/परिदर्शक/ट्य - अर्हताएं, अन्य वेकानुसार शिथि - अनुभव संबंधी	8 विंज्ञान परिषद् कोई मूल विश्व वद्यालय/संस्था यिक चिकित्सा य करने के प न महाविद्यालय रूटर के रूप में पथा सुअर्हित अ ल की जा सक ा अर्हता (आ तेयों और अप्र	अधिनियम 1 95 विद्यालय या सम् आयुर्विज्ञान रजिन से एम. डी. (साम्) या समतुल्य । श्चात् संबंधित f श्रिक्षण संस्था में 3 वर्ष का शिक्षण अभ्यर्थियों की दश् ती है । ईताएं) संघ लो	6 (1956 का नुल्य अर्हता अँ स्टर में रजिस्ट्र वाजिक और नि वेशेषज्ञता में 1 प्राध्यापक/रजि अनुभव । ा में संघ लोक क सेवा आयो i के अभ्यर्थिय	और स्पीति ि खंड, अंदमान के अभ्यर्थियों 102) ला 102) ला 1र केसी स्ट्रार/ सेवा ग के ों की	तले तथा चम्बा जि और निकोबार के लिए विहित व 9 गू नहीं होता कि क	লি के पांगी उप– द्वीप या लक्षद्वीप ते गई है।) 10 एक वर्ष	bandigath i Short fitter Short fitter Piedicine (2) They sh (2) They sh (2) They sh (2) They sh (2) They sh (2) They shift share of shift who has i or ideal that	1. (1) (1) 2. 2. 3. 4 4 4 5. (a) (b) Fra shi
ते अनुसूचियों कसी राज्य आ ोना चाहिए। ii) किसी मान वकित्सा)/एम (iii) स्नातकों प्रान्यताप्राप्त सन् ग्रीनियर रेजिडें टेप्पण 1 :— प्रायोग के विवे टेप्प्प 2 :— वेवेकानुसार अ रागा में तब शि	ां में सम्मिलित व ायुर्विज्ञान रजिस्ट त्यताप्राप्त विश्वति त. डी. (सामुदा केतर अर्हता प्राप् रकारी आयुर्विज्ञ इंट/परिदर्शक/ट्यू - अर्हताएं, अन्य वेकानुसार शिथि - अनुभव संबंधी अनुसुदित जागि थिल की जा सब	8 विंज्ञान परिषद् कोई मूल विश्व कर या भारतीय वद्यालय/संस्था यिक चिकित्सा त करने के प न महाविद्यालय पूटर के रूप में पथा सुअहिंत अ ल की जा सक ा अर्हता (आ तेसों और अनु कती हैं जब चय	अधिनियम 1 95 विद्यालय या सम् आयुर्विज्ञान रजिर से एम, डी. (साग) या समतुल्य । श्चात् संबंधित f () शक्षण संस्था में 3 वर्ष का शिक्षण मभ्यर्थियों की दश ती है । ईताएं) संघ लो सूचित जनजातिये 1न के किसी प्रक्रम	6 (1956 का तुल्य अर्हता अँ स्टर में रजिस्ट्र् ग्राजिक और नि वेशेषज्ञता में 1 प्राध्यापक/रजि अनुभव । ाा में संघ लोक क सेवा आयी i के अभ्यर्थिय न पर संघ लोक	और स्पीति जि खंड, अंदमान के अभ्यर्थियों 102) ला रे केसी स्ट्रार/ सेवा में की र सेवा	तले तथा चम्बा जि और निकोबार के लिए विहित व 9 गू नहीं होता कि क	লি के पांगी उप– द्वीप या लक्षद्वीप ते गई है।) 10 एक वर्ष	bandigath i Short fitter Short fitter Medicine (2) These (2) These roles (2) These roles (2) These roles (3) These roles (4) These roles (4) These roles (4) These roles (4) These roles (4) The oligin (5) The oligin (5) The oligin (5) The oligin (5) The oligin (5) The oligin	1. (1) (2) 2. 2. 3. (4) 5. (a) (b) (b) (cable t Pre-
ती अनुसूचियों कसी राज्य आ तेना चाहिए। (ii) किसी मान चकित्सा)/एम वकित्सा)/एम (iii) स्नातक प्रान्यर रेजिडें टेप्पण 1 : वेवेकानुसार अ दशा में तब शि आयोग की यह आयोग की यह	ां में सम्मिलित व ायुर्विज्ञान रजिस्ट व्यताप्राप्त विश्वर्वि न. डी. (सामुर्वा जेत्तर अर्हता प्राप् रकारी आयुर्विज्ञ उंट/परिदर्शक/ट्यू - अर्हताएं, अन्य वेकानुसार शिथि - अनुभव संबंधी अनुसूचित जा थित की जा सब इ राय है कि उन्यं	8 विंज्ञान परिषद् कोई मूल विश्व दर या भारतीय वद्यालय/संस्था यिक चिकित्सा य करने के प न महाविद्यालय रूटर के रूप में पथा सुअर्हित अ ल की जा सक ते यों और अनु- कती हैं जब चय के लिए आरक्षित	अधिनियम 1 95 विद्यालय या सम् आयुर्विज्ञान रजिन से एम. डी. (साम्) या समतुल्य । श्चात् संबंधितं गि श्चात् संबंधितं गि श्चात् संबंधितं गि श्वर्ष का शिक्षण प्रभ्यर्थियों की दश ती है । ईताएं) संघ लो सूचित जनजातिये न के किसी प्रक्रम् त रिक्तियों को भर	6 (1956 का तुल्य अर्हता अँ स्टर में रजिस्ट्र वाजिक और नि वेशेषज्ञता में 1 प्राध्यापक/रजि अनुभव । ता में संघ लोक क सेवा आये i के अभ्यर्थिय न पर संघ लोक ने के लिए आ	और स्पीति ि खंड, अंदमान के अभ्यर्थियों 102) ला 1र ोकृत वारण केसी स्ट्रार/ सेवा ग के ों की : सेवा वेक्षित	तले तथा चम्बा जि और निकोबार के लिए विहित व 9 गू नहीं होता के कि कि कि कि के कि कि कि कि के कि कि कि कि के कि कि कि कि के कि कि कि कि कि कि कि के कि कि कि कि कि कि कि के कि कि कि कि कि कि कि कि के कि कि कि कि कि कि कि कि कि के कि कि कि कि कि कि कि कि कि के कि कि के कि	লি के पांगी उप– द्वीप या लक्षद्वीप ते गई है।) 10 एक वर्ष 10 एक वर्ष 10 प्र 10 एक वर्ष 10 प्र 10 प् 10 प् 10 प् 10 प् 10 प्र 10 प् 10 प 10 प	 bandigath i Short fitter Short fitter Theoret fitter Pledicine Redicine Redicine Number of Number of<td>1. (1) 2. 2. 2. 3. 4 4 5. (a) 5. (a) 5. (b) 5. (a) 5. (b) 5. (b) 5. (c) (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) (c) (c) 5. (c) 5. (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c)</td>	1. (1) 2. 2. 2. 3. 4 4 5. (a) 5. (a) 5. (b) 5. (a) 5. (b) 5. (b) 5. (c) (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) 5. (c) (c) (c) 5. (c) 5. (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c)
ती अनुसूचियों कसी राज्य आ तेना चाहिए। ii) किसी मान चकित्सी)/एम (iii) स्नातके प्रान्यत स्न प्रायोग के विवे टेच्च्प 2 : वेवेकानुसार आयोग की यह अनुभव रखने	ां में सम्मिलित व ायुर्विज्ञान रजिस्ट न्यताप्राप्त विश्वरि स. डी. (सामुर्वा जेत्तर अर्हता प्राप् रकारी आयुर्विज्ञ डंट/परिदर्शक/ट्यू - अर्हताएं, अन्य वेकानुसार शिथि अनुसुब्दित जा िथल की जा सक इ राय है कि उनर । वाले उन समुद	8 विंज्ञान परिषद् कोई मूल विश्व उर या भारतीय वद्यालय/संस्था यिक चिकित्सा पिक चिकित्सा पिक चिकित्सा प करने के प ग महाविद्यालय पूटर के रूप में पथा सुअहिंत अ ल की जा सक तेयों और अनु- के लिए आरक्षित दायों के अभ्याई	अधिनियम 1 95 विद्यालय या समन् आयुर्विज्ञान रजिर से एम. डी. (साम्) या समतुल्य। ाश्चात् संबंधित f ा/शिक्षण संस्था में 3 वर्ष का शिक्षण प्रभ्यर्थियों की दश् ती है। ईताएं) संघ लो सूचित जनजातिये मन के किसी प्रक्रम् त रिक्तियों को भर ध्रेयों के प्रयाप्त संग	6 (1956 का नुल्य अर्हता अँ इटर में रजिस्ट्र वाजिक और नि वेशेषज्ञता में 1 प्राध्यापक/रजि अनुभव। 11 में संघ लोक क सेवा आये 1 के अभ्यर्थिय म पर संघ लोक ने के लिए आ ख्या में उपलब्श	और स्पीति ि खंड, अंदमान के अभ्यर्थियों 102) ला रे के सी स्ट्रार/ सेवा मेंग के ते सेवा देसित ब होने	तले तथा चम्बा जि और निकोबार के लिए विहित व 9 गू नहीं होता 1	লি के पांगी उप– द्वीप या लक्षद्वीप ते गई है।) 10 एक वर्ष	bandigath i Short fitter Short fitter Piedicine (2) These of Comber of Number of Number of Number of Number of Stating i Number of Stating i Number of Stating i Number of Stating i Stating i Stati	1. (1) 2. 2. 2. 3. 3. 4 4 4 5. (a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c
ती अनुसूचियों कसी राज्य आ तेना चाहिए। (ii) किसी मान चकित्सा)/एम वकित्सा)/एम (iii) स्नातक प्रान्यर रेजिडें टेप्पण 1 : वेवेकानुसार अ दशा में तब शि आयोग की यह आयोग की यह	ां में सम्मिलित व ायुर्विज्ञान रजिस्ट न्यताप्राप्त विश्वरि स. डी. (सामुर्वा जेत्तर अर्हता प्राप् रकारी आयुर्विज्ञ डंट/परिदर्शक/ट्यू - अर्हताएं, अन्य वेकानुसार शिथि अनुसुब्दित जा िथल की जा सक इ राय है कि उनर । वाले उन समुद	8 विंज्ञान परिषद् कोई मूल विश्व उर या भारतीय वद्यालय/संस्था यिक चिकित्सा पिक चिकित्सा पिक चिकित्सा प करने के प न महाविद्यालय पूटर के रूप में पथा सुअहिंत अ ल की जा सक तेयों और अनु- के लिए आरक्षित दायों के अभ्याई	अधिनियम 1 95 विद्यालय या समन आयुर्विज्ञान रजिर से एम. डी. (साम) या समतुल्य। राशक्षण संस्था में 3 वर्ष का शिक्षण प्रभ्यर्थियों की दश ती है। ईताएं) संघ लो सूचित जनजातिय मन के किसी प्रक्रम त रिक्तियों को भर क्षेयों के प्रयाप्त संग	6 (1956 का नुल्य अर्हता अँ ट्रर में रजिस्ट्र् वाजिक और नि वेशेषज्ञता में 1 प्राध्यापक/रजि अनुभव। 11 में संघ लोक मं के संघ लोक ने के लिए आ ख्या में उपलब्स	और स्पीति ि खंड, अंदमान के अभ्यर्थियों 102) ला रे के सी स्ट्रार/ सेवा मे के ते की इ सेवा पे कि ते होने	तले तथा चम्बा जि और निकोबार के लिए विहित व 9 गू नहीं होता 10 10 11 12 13 14 15 15 16 17 16 17 18 19 10 10 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 10 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 10 10 10 10 10 10 10 <	লি के पांगी उप– द्वीप या लक्षद्वीप ते गई है।) 10 एक वर्ष 10 एक वर्ष 10 10 एक वर्ष 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	bandigath i Short fitter Short fitter Medicine (2) Theo (2) Theo (1. (1) (2) (2) (3) (4) (4) (5) (4) (5) (4) (5) (5) (5) (7) (2) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7
ती अनुसूचियों कसी राज्य आ तेना चाहिए। ii) किसी मान चकित्सी)/एम (iii) स्नातके प्रान्यत स्न प्रायोग के विवे टेच्च्प 2 : वेवेकानुसार आयोग की यह अनुभव रखने	ां में सम्मिलित व ायुर्विज्ञान रजिस्त व्यताप्राप्त विश्वति म. डी. (सामुदा जेत्तर अर्हता प्राप् रकारी आयुर्विज्ञ उंट/परिदर्शक/ट्यू - अर्हताएं, अन्य वेकानुसार शिथि अनुसुचित जासि अनुसुचित जासि अनुसुचित जासि अनुसुचित जासि द राय है कि उन्तर महीं है।	8 विंज्ञान परिषद् कोई मूल विश्व वद्यालय/संस्था विद्यालय/संस्था यिक चिकित्सा त करने के प न महाविद्यालय रूरा के रूप में पथा सुअहिंत अ ल की जा सक ते सों और अनु केती हैं जब चय के लिए आरक्षित दायों के अभ्या [§]	अधिनियम 1 95 विद्यालय या सम्प आयुर्विज्ञान रजिन से एम. डी. (साम्) या समतुल्य । श्चात् संबंधितं f ।/शिक्षण संस्था में 3 वर्ष का शिक्षण अभ्यर्थियों की दश ती है । ईताएं) संघ लो सूचित जनजातिये मूचित जनजातिये म के किसी प्रक्रम् त रिक्तियों को भर भयों के पर्याप्त संग	6 (1956 का नुल्य अर्हता अँ स्टर में रजिस्ट्र वाजिक और नि वेशेषज्ञता में 1 प्राध्यापक/रजि अनुभव। 11 में संघ लोक क सेवा आये 1 के अभ्यर्थिय 1 पर संघ लोक ने के लिए आ ढ्या में उपलब्ध	और स्पीति जि खंड, अंदमान के अभ्यर्थियों 102) ला रे केसी स्ट्रार/ सेवा गे के तों की : सेवा पेक्षित ब होने	तले तथा चम्बा जि और निकोबार के लिए विहित व 9 गू नहीं होता विहेत व गू नहीं होता विहेत व विहेत व विहेत व 1 <td>লি के पांगी उप– द्वीप या लक्षद्वीप ते गई है।) 10 एक वर्ष</td> <td> bandigath i Short fitter Short fitter Theorem Redicine Redicine Restored i Restored i Restored i Restored i Restored ingi No ho has a Restored ingi Souch pers Souch pers Souch pers Souch pers Souch correct </td> <td>1. (1) 2. 2. 2. 2. 3. 4. 4. 4. 5. (a) 5. (b) 5. (b) 5. (c) (c) (c) (c) 5. (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c)</td>	লি के पांगी उप– द्वीप या लक्षद्वीप ते गई है।) 10 एक वर्ष	 bandigath i Short fitter Short fitter Theorem Redicine Redicine Restored i Restored i Restored i Restored i Restored ingi No ho has a Restored ingi Souch pers Souch pers Souch pers Souch pers Souch correct 	1. (1) 2. 2. 2. 2. 3. 4. 4. 4. 5. (a) 5. (b) 5. (b) 5. (c) (c) (c) (c) 5. (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c)

.

36	THE GAZETTE OF INDIA : FEBRU	UARY 1	5,2003/M	AGHA 26, 1924	[PART II-SEC. (i)	X 1557
ected	13			. 14		
	रह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति पुष्टि के संबंध में विचार गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन	करने के —अध्यक्ष			ह सेवा आयोग से परामर्श ' तः ' हा विकास कार्यक्रम हुए	
	मुख सामय, मेठा कि प्राथम सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन	—सदस्य	10.333		सयिव, आयुद्धिवान शिक्षा और आ प्रधानाद्वार्थ, सरकारी आर्याव्यवान	
3.	प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और				अध्यस्य , न्देशीमहः	and and a
	अस्पताल, पडानख्	—सदस्य			संबंधित विभाष का आवार्ग को । आमुर्विद्यान वहांदियालय संग र	4,
4.	संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़	—सदस्य	<u></u>	n al an		No. Inc.

N p

> 1 (1

The

(Hanele)

[सं. वी. 24011/8/2002-एम ई डैस्क-II]

गान्यतापान साम्यती न्यकुविंडात बातील ता राजा रूप मार्ग् इत

faith billing is norst

एस. के. मिश्रा, अवर सचिव

painstu । हि सम्प्रकृति सन

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 30th January, 2003

G.S.R. 70 .- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Professor (Community Medicine), Reader (Community Medicine) and senior Lecturer (Community Medicine) In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, namely :----

(1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Community Medicine), Reader (Community Medicine) and senior Lecturer (Community Medicine). (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay. — The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said, schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc..- The method of recruitment, age limit, qualifications and (1) other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said schedule. Port) is in a specified in columns (5) to (14) of the said schedule. ALLER TRACT TO THE MER HAR

5. Disqualification .- No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or a stand of purfit
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any आयों को का साहे कि विस्तृत जावर्षन हि त्वर्थ के यह का स्वार person from the operation of this rule.

6. Power to relax .- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings .- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from ime to time in this regard.

			SCI	HEDULE		1
Name of bost	No. of post	Classification			recruits angle of the double o	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6 and the st	develore 7 another file
Professor Community fedicine)	01* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Cent Service Group Gazetted, Non-Ministe	oʻA' 22,100 PLUS	applicable	year's (Relaxable for Government servants upto five year's in ac ance with the instructi or orders issued by th Central Government). Note : The crucial da for determining the a limit shall be the closs date for receipt of ap cations from candida in India (and not the closing date prescrib for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Mizoram, Manipur, N land, Tripura, Sikkin Ladakh Division of Jammu and Kashmir Lahaul and Spiti Di and Pangi Sub-Divis of Chamba District Himachal Pradesh	cord- ons a doax of the doal of the order a doax of the doal of the order of the doal of the doal of the second of the doal of the doal of the doal of the doal of the doal of the doal of the doal of the doal of the doal of the doal of the aga- n, for the doal of the doal of the State, and the doal of the doal of the doal of the doal of the strict for the doal of the doal of the doal of the doal of the strict for the doal of the doal of the doal of the doal of the strict for the doal of the doal of the doal of the doal of the strict for the doal of the doal of the doal of the doal of the strict for the doal of the doal of the doal of the doal of the doal of the the doal of the doal of the doal of the the doal of the doal of the doal of the the doal of the doal of the doal of the the doal of the doal of the doal of the the doal of the doal of the doal of the the doal of the doal of the doal of the the doal of the doal of the doal of the the doal of the doal of the doal of the the doal of the doal of the doal of the doal of the the doal of the doal of the doal of the doal of the the doal of the doal of the doal of the doal of the the doal of the doal of the the doal of the doal
					T I I T I I I I I I I I I I I I I I I I	barge parameters of to balle
			long a view Tong a view	noliómozkiens ne si talve distri	T I I T I I I I I I I I I I I I I I I I	bars of regimination to save eputation absorption, deputy manufic deputy and the same as
Educational other qualif required for recruits	ications	edu ficat for c will	ether age and cational quali- tions prescribed direct recruits apply in the e of promotees	Period of probation, if any	Islands or Lakshady Method of rec direct recruitn or by deputa percentage of by various me	bar veep). ruitment whether by nent or by promotion tion/absorption and the posts to be filled othods
other qualif required for	ications	Who educ ficat for o will	cational quali- tions prescribed direct recruits apply in the	Period of probation, if any	Islands or Lakshady Method of rec direct recruitn or by deputa percentage of by various me	bar veep). ruitment whether by tent or by promotion tion/absorption and the posts to be filled thods

.

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15, 2003/MAGHA 26, 1924

भारत का राजपत्र : फरवरी 15, 2003/माघ 26, 1924

भाग ।---खण्ड 3(1)

	12		13		14	
considered in case he/s appointmer shall be dee by promotion fhe Departu- eeder catego ine of prom- or consider leputation. hall not be or appointmen period of I neluding per- contract in teld immed appointmen ther organi- the Central (ordinarily no the maximum nent by dep- erm contract ifty six yea	mental Officer is gory who are in notion shall not l ration for appoi Similarly, depu eligible for con- nent by promot Deputation/ com- eriod of Deputa another ex-cadi- iately preceding t in the same or ization / departr Government, sh ot exceed five y im age limit for a butation (includ ct) shall be not e r's as on the clo	iders. for le same en filled in the the direct be eligible intment on tationists sideration ion. tract tion/ re post s this some nent of all ear's. appoint- ing short exceeding using date	Un year to noor room	vierinai ducinai turificatione	 aivenský veregeneletyttí included tutan v une of included tutan v visit vis	qualification the Schedule Council Act must be repu- must be repu- Register - 1 Medicine() A Liedicine() th Liedicine() th Aledicine() th Aledicine() th Aledicine() th Aledicat Col Medicat Col Medicate with Commission Commission
of the receip	ot of application	rs).			on to the induced	dates terior atribitions
	2	3	4	. 5	mant sit notasise'te 196 ci matanaisti a	Contraction of the second second
l 2. Reader (Community Medicine)	01*(2002)	General Central Service Group 'A Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 16,350-450-	and the second sec	Not exceeding fifty years (Relaxable for Government servants upto five years in accord-	s Yes mes a gine see q daylet to a struct
			ji menal sam Pananja Plas k mor		Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of appli- cations from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam,	 fournals fromotion/S Community year's regula
			amininan Alistanion Alistanion Anderson Chosed Alistani Anderson Alistani Anderson Alistania	Line Scand Andrar Arthur Marchen Marchen Anterentin Anterentin Anterentin Anterentin	Meghalaya, Arunachal Prad Mizoram, Manipur, Naga- land, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division	Contract, etc. Officers of Covernment (Statutory B Organization

[] - (totai Tfeiifcoist fc (lir Chajotto Tntefio-

70 THE GAZETTE O	FINDIA: FEBRUA	ARY 15, 2003/MAGH	IA 26, 1924	E.	[PART II-Sec. 2(1)]
8	9	10		1	ST.
ssential :) A basic University or equivalent ualification included in any one of		One year for direct recruits.	itstugsb contract muirres muirres been filled er in fbe in fbe direct not be eligible pointment on consideration consideration after post atation fing this station of appoint e year s, stati of appoint e year s, station to appoint of appoint of appoint to appoint to a secue date date for appoint to a secue to secue to a secue to	on (In) failir ent event of an or an of a	Vedicincy and the second of the second of the second of the second of the by promotion. The Department of the consideration for appointment of the consideration of the department of the consideration of the department of the consideration of the contract of the consideration of the contract of the contr
Desirable: —			N. M	eosta ,	
Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/ National	i tana nghas Janaky - Turin ng			in the	
Journals .				ter and the	And the second second
a start of the late		13			14
12 Promoticn/Senior Lecturer (Community Medicine) with two year's regular sevice in the grade. Deputation (Including Short-Term Contract) Officers of the Central / State Governments/ Union Territories /Statutory Bodies/ Autonomous Organizations/Research Institutions: (a) (i) Holding analogous posts on regular basis or (ii) With two year's regular service in posts in the scale of pay of	(for considering 1. Chairman/ Me Public Service C 2. Home Secretar Chandigarh Adr 3. Secretary, Me and Research, C Administration. 4. Principal, Gov	tmental Promotion Promotion) : mber, Union ommission — ry, ninistration — dical Education handingarh	-Chairman -Member -Member	Union Comm while recrui an off	Itation with Public Service hission is necessary making direct tment and appointing ficer on deputation ding short-term contrac

[भाग प्र-खण्ड 3(i)] ¹²⁰¹ भारत का राजपत्र : फरवरी 15, 2003/माघ 26, 1924

	12	()	13	Q	14	8
b) Possess	ing the educat	One year bac lenoi	side	Not applie		Ssential :
	ications prescr				iversity or equivalent	
	its under colum				icluded in any one of	ualification in
					to the Indian Medical	he Schedules
	mental Officer				956 (102 of 1956) and	Council Act, 19
	ory who are in				red in a State Medical	
	otion shall not				ian Medical Register.	tegister or Ind
	ation for appo				al and Preventive	ii) M.D. (Socia
	Similarly, depu				D. (Community	
	eligible for con				n a recognized	
	nent by promot				stitution or equivalent.	
Period of D	eputation/Con	tract			's teaching experience	
ncluding pe	riod of Deputa	tion/			med speciality after	
Contract in a	mother ex-cad	re post			graduate qualification	
	ately preceding				egistrar/ Senior Resident/	
	in the same of				Tutor in a recognized	
	zation / departi				ge/ Teaching Institution.	Medical Colley
	overnment, sh				fications are relaxable at the	Note 1 : Qualit
	t exceed five y			A CARLES	re UPSC in case of	
	m age limit for			A DECK	erwise well qulified.	candidates oth
	utation (includ				ualification(s)	
	t) shall be not e					rote a chick que
	's as on the clo				e discretion of the	
	t of application				cervice Commission in	
1	2	3	4	5	bes. If at any stage te Union Public	o the Schedul Scheduled Tri o f selection, th
1 Senior	2	3			ed Castes or bes. If at any stage the Union Public ussion is of the b	to the Schedul Scheduled Tri of selection, th Service Comm opinion thatsu
1 . Senior .ecturer			Rs. 14,300-400-	Not	ed Castes or bes. If at any stage is Union Public utsion is of the 6 ifficient nyfift gnibesors to N m these of eldexels (Relaxable)	to the Schedul Scheduled Tri S celection, th Service CSmun opinion tho N su candidates from
ecturer	2 02* (2002)	3 General Central	Rs. 14,300-400-		ed Castes or bes. If at any stage in Union Public instion is of the 6 ifficient nyfift gnibesons Not year's (Relaxable Stravy stage) requisiter vast straves	to the Schedul Scheduled Tri Scheduled Tri Service Comm opinion thor school candidates from cossessing the
ecturer Community	2 02* (2002) *Subject to	3 General Central Service Group 'A	Rs. 14,300-400- ' 15,900-450-18- 150/- PLUS	Not	ed Castes or bes. If at any stage in Union Public difficient of the 6 Mot exceeding gnibesory with see of all and grand pear's (Relaxable for serving on the second o bebroors in accord	to the Schedul Scheduled Tri Scheduled Tri Service Comm opinion thors candidates fron cossessing the are not likely th
ecturer Community Iedicine).	2 02* (2002) *Subject to variation	3 General Central Service Group 'A Gazetted,	Rs. 14,300-400- ' 15,900-450-18- 150/- PLUS	Not	ed Castes or bes. If at any stage in Union Public difficient of the 6 Mot exceeding gnibesory with sec off aldaxable requisitant serving or of the Government serving or other up of the version of the serving of the serving of the serving of the serving of the serving of the serving of the s	to the Schedul Scheduled Tri Scheetetion, th Service Comm opinion thor school candidates from cossessing the are not likely th
ecturer Community Iedicine).	2 02* (2002) *Subject to variation dependent	3 General Central Service Group 'A Gazetted,	Rs.14,300-400- 15,900-450-18- 150/- PLUS Non-Practicing	Not	ed Castes or bes. If at any stage in Union Public itission is of the 6 influent nyfift gnibesons Not year's (Relaxable for stand) Government servants o bebrook in each of the server and the the the the the the the server and the	to the Schedul Scheduled Tri Scheduled Tri Service Comm opinion thors candidates fron cossessing the are not likely th
ecturer Community Iedicine).	2 02* (2002) *Subject to variation dependent	3 General Central Service Group 'A Gazetted,	Rs.14,300-400- 15,900-450-18- 150/- PLUS Non-Practicing	Not	bes. If at any stage bes. If at any stage in Union Public difficient of the 6 mission is of the 6 mithese for able and 9 year's (Relaxable for a block Government servants and 0 upto five years in account of be browned the for a block ance with the instructions of or orders issued by the	to the Schedul Scheduled Tri Scrvice Comm opinion thors candidates fron possessing the are not likely th
ecturer Community Iedicine).	2 02* (2002) *Subject to variation dependent	3 General Central Service Group 'A Gazetted,	Rs.14,300-400- 15,900-450-18- 150/- PLUS Non-Practicing	Not applicable	ed Castes or bes. If at any stage the Union Public inssion is of the year's (Relaxable for base) upto five years in accords upto five years in accords upto five years in accords or orders issued by the Central Government).	to the Schedul Scheduled Tri Scrvice Comm opinion thors candidates fron possessing the are not likely the up the posts re
ecturer Community Iedicine).	2 02* (2002) *Subject to variation dependent	3 General Central Service Group 'A Gazetted,	Rs.14,300-400- 15,900-450-18- 150/- PLUS Non-Practicing	Not	ed Castes or bes. If at any stage the Union Public inssion is of the year's (Relaxable for base) Government'servants upto five years in accord or of-the stage of the ance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date	to the Schedul Scheduled Tri Scrvice Comm opinion thors candidates fron possessing the are not likely th
ecturer Community Iedicine).	2 02* (2002) *Subject to variation dependent	3 General Central Service Group 'A Gazetted, Non-Ministerial.	Rs.14,300-400- 15,900-450-18- 150/- PLUS Non-Practicing Allowance.	Not applicable	ed Castes or bes. If it any stage the Union Public of the 6 bes. If any stage of the 6 best of the 6	to the Schedul Scheduled Tri Scrvice Comm opinion thors candidates fron possessing the are not likely the up the posts re
ecturer Community (edicine).	2 02* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	3 General Central Service Group 'A Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 14,300-400- ' 15,900-450-18- 150/- PLUS Non-Practicing Allowance.	Not applicable	ed Castes or bes. If it any stage the Union Public of the 6 6 Not exceeding fiftyn year's (Relaxable for best Government'servants upto five years in accord upto five years in accord or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age	to the Schedul Scheduled Tri Schection, th Service Comm opinion thors candidates fro possessing the possessing the up the posts re
ecturer Community Iedicine).	2 02* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	3 General Central Service Group 'A Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 14,300-400- ' 15,900-450-18- 150/- PLUS Non-Practicing Allowance.	ton bigger bigge	bes If at any stage bes If at any stage bes If at any stage and the Union Public of the Original States inficient age of the Original year's (Relaxable for seath m Government servants and m Government	to the Schedul Scheduled Tri Schection, th Service Comm opinion thors candidates fro possessing the possessing the up the posts re
ecturer Community ledicine).	2 02* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	3 General Central Service Group 'A Gazetted, Non-Ministerial.	Rs.14,300-400- ' 15,900-450-18- 150/- PLUS Non-Practicing Allowance.	to Not aldebilled all all all all all all all all all all	bes If at any stage bes If at any stage bes If at any stage bes If at any stage better of the 6 better of the 6 better of the 7 better of the	to the Schedul Scheduled Tri Schection, th Service Comm opinion thors candidates fro possessing the possessing the up the posts re
ecturer Community ledicine).	2 02* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	3 General Central Service Group 'A Gazetted, Non-Ministerial.	Rs.14,300-400- ' 15,900-450-18- 150/- PLUS Non-Practicing Allowance. O moitomort¶ istm : (noitpactile D moitement)	toN aldabilqqa aldabilqqa 33 4' Departmen nsidering Co Secretary, digarh Admin	bes If at any stage bes If at any stage bes If at any stage bes If at any stage between optimized of the classical for search of government servants in accord upto five years in accord or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age of limit shall be the closing odate for receipt of appli- om cations from candidates in India (and not the	to the Schedul Scheduled Tri Schection, th Service Comm opinion thors candidates fro possessing the possessing the up the posts re
ecturer Community ledicine).	2 02* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	3 General Central Service Group 'A Gazetted, Non-Ministerial.	Rs.114,300-400- 15,900-450-18- 150/- PLUS Non-Practicing Allowance.	toN aldabilqqa aldabilqqa algabilqa asidering Co bigarh Admin etary, Medical atch, Chandis	bes 16 any stage bes 16 any stage bes 16 any stage below Public below	to the Schedul Scheduled Tri Service Comm opinion thors candidates fro possessing the up the posts re Not applicable
ecturer Community Iedicine).	2 02* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	3 General Central Service Group 'A Gazetted, Non-Ministerial.	Rs.114,300-400- 15,900-450-18- 150/- PLUS Non-Practicing Allowance.	toN aldabilqqa aldabilqqa algabilda asidering Cou hisidering Cou digarh Admin tary, Medical atch, Chandis pal, Governm	be Central Government. Note : The crucial date or orders issued by the Central Government. Note : The crucial date for determining the age of date for receipt of appli- meations from candidates of those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh	to the Schedul Scheduled Tri Service Comm Service Comm candidates fro possessing the are not likely the up the posts re Not applicable
ecturer Community Iedicine).	2 02* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	3 General Central Service Group 'A Gazetted, Non-Ministerial.	Rs.14,300-400- 15,900-450-18- 150/-PLUS Non-Practicing Allowance.	to N sldspillqga sldspillqga a V Departmen isidering Con iscretary, tary, Medical pal, Governm ge and Hospil ge and Hospil	Not exceeding fifty invision or and a more service of a s	to the Schedul Scheduled Tri Service Comm opinion thors candidates fro possessing the up the posts re Not applicable
ecturer Community ledicine).	2 02* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	3 General Central Service Group 'A Gazetted, Non-Ministerial.	Rs.14,300-400; -000-000; -18-100 -18-100 -19	to N sldspillage sldspillage A' Departmet insidering Cou digarh Admin secretary, tary, Medical arch, Chandis ge and Hospit ge and Hospit ssor and Hea	Not exceeding fifty ineioith year's (Relaxable for beam of the indication or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing of date for receipt of appli- meations from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Naga-	to the Schedul Scheduled Tri Service Comm Service Comm candidates fro possessing the are not likely the up the posts re Not applicable
ecturer Community ledicine).	2 02* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	3 General Central Service Group 'A Gazetted, Non-Ministerial.	Rs.14,300-400; -004-000; 11- -1-02-10-00 -1-02-10-	to N sldspildgs sldspildgs a V Departmet insidering Cou insidering Cou digarh Admin arch, Chandis ge and Hospit ge and Hospit ssor and Hea	Not exceeding fifty ineioith year's (Relaxable for beam of the indication or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing or date for receipt of appli- meations from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Naga- liand, Tripura, Sikkim,	to the Schedul Scheduled Tri Service Comm Service Comm candidates fro possessing the are not likely the up the posts re Not applicable
ecturer Community ledicine).	2 02* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	3 General Central Service Group 'A Gazetted, Non-Ministerial.	Rs.14,300-400; -004-000; 11- -1-02-10-00 -1-02-10-	to N sldspildgs sldspildgs a V Departmet insidering Cou insidering Cou digarh Admin arch, Chandis ge and Hospit ge and Hospit ssor and Hea	Not exceeding fifty ineioith year's (Relaxable for beam of the indication or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing or date for receipt of appli- meations from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Naga- liand, Tripura, Sikkim,	o the Schedul Scheduled Tri Scrvice Comm Service Comm pinion thors cossessing the ap the posts re up the posts re
ecturer Community Iedicine).	2 02* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	3 General Central Service Group 'A Gazetted, Non-Ministerial.	Rs.14,300-400; -004-000; 11- -1-02-10-00 -1-02-10-	to N sldspildgs sldspildgs a V Departmet insidering Cou insidering Cou digarh Admin arch, Chandis ge and Hospit ge and Hospit ssor and Hea	Not exceeding fifty ineioith year's (Relaxable for beam of the indication government servants in pro- upto five years in accord- ance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of appli- meations from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Naga- land, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State,	o the Schedul Scheduled Tri Scrvice Comm Service Comm pinion thors cossessing the ap the posts re up the posts re
ecturer Community Iedicine).	2 02* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	3 General Central Service Group 'A Gazetted, Non-Ministerial.	Rs.14,300-400; -004-000; 11- -1-02-10-00 -1-02-10-	to N sldspildgs sldspildgs a V Departmet insidering Cou insidering Cou digarh Admin arch, Chandis ge and Hospit ge and Hospit ssor and Hea	Not exceeding fifty ineioith year's (Relaxable for) sealt in Government servants in pro- upto five years in accord- ance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of appli- cations from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Naga- land, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District	o the Schedul Scheduled Tri Scrvice Comm Service Comm candidates fro possessing the are not likely the up the posts re Not applicable
ecturer Community Iedicine).	2 02* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	3 General Central Service Group 'A Gazetted, Non-Ministerial.	Rs.14,300-400; -004-000; 11- -1-02-10-00 -1-02-10-	to N sldspildgs sldspildgs a V Departmet insidering Cou insidering Cou digarh Admin arch, Chandis ge and Hospit ge and Hospit ssor and Hea	Not exceeding fifty ineioith year's (Relaxable for beam of the indication Government servants in pro- upto five years in accord- ance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of appli- cations from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Naga- land, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division	to the Schedul Scheduled Tri Scrvice Comm Service Comm candidates fro possessing the possessing the up the posts re Not applicable
ecturer Community Aedicine).	2 02* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	3 General Central Service Group 'A Gazetted, Non-Ministerial.	Rs.14,300-400; -004-000; 11- -1-02-10-00 -1-02-10-	to N sldspildgs sldspildgs a V Departmet insidering Cou insidering Cou digarh Admin arch, Chandis ge and Hospit ge and Hospit ssor and Hea	Not exceeding fifty ineioith year's (Relaxable for bealt Government servants in accord- government servants in pro- upto five years in accord- ance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of appli- cations from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Naga- land, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of	to the Schedul Scheduled Tri Scrvice Comm Service Comm candidates fro possessing the possessing the up the posts re Not applicable
ecturer Community Aedicine).	2 02* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	3 General Central Service Group 'A Gazetted, Non-Ministerial.	Rs.14,300-400; -004-000; 11- -1-02-10-00 -1-02-10-	to N sldspildgs sldspildgs a V Departmet insidering Cou insidering Cou digarh Admin arch, Chandis ge and Hospit ge and Hospit ssor and Hea	Not exceeding fifty invision gots (ns in 11 and <u>added noinU and</u> <u>6 and to at noisein</u> Not exceeding fifty invision year's (Relaxable for bead in Government servants in accord- or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing of date for receipt of appli- meations from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Naga- land, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh,	to the Schedul Scheduled Tri Scrvice Comm Service Comm candidates fro possessing the possessing the up the posts re Not applicable
ecturer Community fedicine).	2 02* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	3 General Central Service Group 'A Gazetted, Non-Ministerial.	Rs.14,300-400; -004-000; 11- -1-02-10-00 -1-02-10-	to N sldspildgs sldspildgs a V Departmet insidering Cou insidering Cou digarh Admin arch, Chandis ge and Hospit ge and Hospit ssor and Hea	Not exceeding fifty ineioith year's (Relaxable for bealt Government servants in accord- government servants in pro- upto five years in accord- ance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of appli- cations from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Naga- land, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of	to the Schedul Scheduled Tri Scrvice Comm Service Comm candidates fro possessing the possessing the up the posts re Not applicable

8	9		10	11
Essential: (i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.	Not appli	cable	jard (De d (8), 5 dbe De dhert Se engilste	(b) the main transformer (b) the main transformer (b) and transformer
 (ii) M.D. (Social and Preventive Medicine)/ M.D. (Community Medicine) from a recognized University/ Institution or equivalent. (iii) Three year's teaching experience in the concerned speciality after acquiring postgraduate qualification as Lecturer/ Registrar/ Senior Resident/ Demonstrator/ Tutor in a recognized Medical College/ Teaching Institution. 			Mariopusts raid chieft ion tract tract gifts sector tract of	for consideration for topol deputation: Similarly, depu- shall not be cliently for con- for appointment by promot (Period of Period of Liepur, including period of Liepur, beld influediately procedu- appointment in the server of other organization digerer
Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qulified.			6) 1975 2000 -	Bic control Covernment, sh ordinarily not exceed five ; The maximum recount of
Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in			gnite fox: soch eluin	ment by deputritions molice orth contract) shall be not Tify fux your's as on the clo of the recent bif at plicente
the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If at any stage				
of selection, the Union Public			- 6	
Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	ispesikeeri 1		Constant Control Scriftor imito A Guzetted Munistoriat	Schlor (12*(2002)) .courrer Ssubject to Compusery viji nion fedicine) dependent .converkt jad

Not applicable Group 'A' Departmental Promotion Committee (For Considering Confirmation): 1. Home Secretary, Chandigarh Administration —Chairman 2. Secretary, Medical Education & Research, Chandigarh Admn —Member 3. Principal, Government Medical —Member	12	13	14
College and Hospital, Chandigarh —Member 4. Professor and Head of the concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh —Member	lot applicable	 (For Considering Confirmation): 1. Home Secretary, Chandigarh Administration —Chairman 2. Secretary, Medical Education & Research, Chandigarh Admn —Member 3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh —Member 4. Professor and Head of the concerned Department of Government Medical 	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

S.K. MISHRA, Under Secy.

6-- 6000 A 8

12

(ii) 'O' Level Diploma under DOEACC programme or equivalent with two years' experience in working with Computer or Word Processor or other electronic equipment;

(iii) Hindi as a subject in Senior Secondary School Examination or equivalent of a recognized Board or Equivalent; or

 (B) (i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology from a recognised University or equivalent;

(ii) Hindi as a subject in Senior Secondary School Examination or equivalent of a recognized Board or Equivalent.

2. The Departmental Technical Assistant with eight years' regular service in the grade shall also be considered alongwith outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

(The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation/contract including period of deputation/ contract in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in the which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post and for amendment/ relaxation of any provision of these recruitment rules.

[F. No. A-12018/8/2000-Ad. V]

S.K. BHATNAGAR, Under Secv.

Foot note: The principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. 743 dated the 22nd September, 1987 and subsequently amended vide G.S.R. 94 dated the 27th March, 1990 and vide G.S.R. 2 dated the 3rd December, 1993 and vide G.S.R. 352 dated the 4th September, 2002.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 318.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में आचार्य (सामुदायिक चिकित्सा), उपाचार्य (सामुदायिक चिकित्सा) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (सामुदायिक चिकित्सा), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (सामुदायिक चिकित्सा), उपाचार्य (सामुदायिक चिकित्सा) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (सामुदायिक चिकित्सा), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।
 (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2778 GI/04-2

THE GAZETTE OF INDIA: SEPTEMBER 25, 2004/ASVINA 3, 1926

PART II-SEC. 31

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ आचार्य (सामुदायिक चिकित्सा), उपाचार्य (सामुदायिक चिकित्सा) ज्येष्ठ प्राध्यापक (सामुदायिक चिकित्सा), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 (जिन्हें इसके पृश्चात् इसमें उक्त नियम कहा गया है)

(क) नियम 1 के उपनियम (1) में ''2002'' अंकों के स्थान पर''2003'' अंक रखे जाएंगे।

(i) स्तंभ 5 के अधीन के प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

''चयन''

(ii) स्तंभ 13 के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

''समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध म्रें विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन

3.

- 2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन
 - प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ —सदस्य

 सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ के शरीर रचना विज्ञान विभाग के आचार्य और अध्यक्ष

24011/0/2002

— अध्यक्ष

- सदस्य

-सदस्य

[सं. वी. 24011/8/2002-एम ई डेस्क-एस. के. मिश्रा, अवर र्सा

पाद टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 70, तारीख 30 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किया गया है।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 8th September, 2004

G.S.R. 318.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the Preside hereby makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Commun Medicine), Reader (Community Medicine) and Senior Lecturer (Community Medicine), (Group 'A' Gazetted Pos Recruitment Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Commun Medicine), Reader (Community Medicine) and Senior Lecturer (Community Medicine), (Group 'A' Gazetted Pos Recruitment (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Community Medicine), Reac (Community Medicine) and Senior Lecturer (Community Medicine), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 20 (hereinafter referred to as the said rules);

- (a) In sub-rule (1) of rule 1, for the figures "2002", the figures "2003" shall be substituted.
- (b) In the said rules, against the post appearing at serial number 2,---

(ii) under column 13, after existing entries the following entries shall be inserted, namely :----

"Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation), consisting of :---

- 1. Home Secretary, Chandigarh Administration —Chairm
- 2. Secretary, Medical Education and Research Chandigarh Administration ----Membe
- 3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh —Membe
- 4. Professor and Head of the Anatomy Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh

[No. V. 24011/8/2002-ME Desk-

-Membe

नई दिल्ली,	22	जनवरी,	20	03
------------	----	--------	----	----

सा.का.नि. 57.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में सांख्यिकी-विद्-सह-ज्येष्ठ प्राध्यापक (सामुदायिक चिकित्सा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन

करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--1. संक्षिप्त नाज और प्रारंभ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, सांख्यिकी-विद्-सह-ज्येष्ठ प्राध्यापक (सामुदायिक चिकित्सा) (समुह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 है।

13

(

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। A

2. ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान. — उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विर्निदिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि . - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरईता.-वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति. — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

				अनुसून	वी		
द का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान		सीधे भर्ती वि आयु-सीमा थवा	कए जाने वाले व्यक्तियों के लि	वर्षा का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
20 1 76 207	2	3	4	5		6 र्ष से अधिक नहीं।	7 नहीं
सांख्यिकी- विद्-सह- ज्येष्ठ प्राध्यापक (सामुदायिक चिकित्सा)	01* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ' क' राजपत्रित अननु- सचिवीय	14300-400- 15900-450- 18600-500- 20100 रु.	लागू नहीं होता	(सरकारी जारी किए 5 वर्ष तक टिप्पणः निर्णायकर प्राप्त करने होगी। (न मेघालय, नागालैंड, के लदाख स्पीति जि	सेवकों के लिए केन्द्रीय सरक गए अनुदेशों या आदेशों के अ शिथिल की जा सकती है)। आयु-सीमा अवधारित करने के तारीख भारत में अभ्यर्थियों से के लिए नियत की गई अंतिम के लिए नियत की गई अंतिम कि वह अंतिम तारीख जो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश् खंड, हिमाचल प्रदेश के त जेले तथा चम्बा-जिले के पां दमान और निकोबार द्वीप या धियों के लिए विहित की गई	मनुसार के लिए आवेदन न तारीख असम, मणिपुर, म्मीर राज्य ताहौल और गी उप- लक्षद्वीप
सीधे भर्ती वि	केए जाने वाले व्य	यक्तियों के लिग	ए अपेक्षित शैक्षि	क और अन्य	अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो।
		110	8	111111	anna an	9	10
आवश्यक	: क. (i) किसी) या समतुल्य ।	मान्यताप्राप्त वि	Contraction of the second seco	ऱ्था से एम.एस	त.सी.	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वप्

THE GAZET TE OF INDIA TEBROART 0,2000	
8	. 🦛 () य राज्यसम् सं प्रकायन हो तो द हो हमूल
i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/संस्थान/आयुर्विज्ञान	and the stand of the second
वशासी संगठन में जैव सांख्यिकी में पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव।	3. To Hear and the second s
वशासा सगठन में जव साख्यका ने पाप पर का रिका कर हु गय	明中部發展的第一日(2)并至14(4)并至14(4)
	के स्पती की पहले अस्ति आधु-स्तिक और केन्द्र आहेत
व. (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम.एस.सी. (सांख्यिकी)	- 1992 and the second sec
और पी-एच.डी. (जैव सांख्यिकी या आचरण विज्ञान)।	ा कर कर स्वयंत्र के लिख में के साम (हैं")
(ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/संस्थान/आयुर्विज्ञान स्वशासी	n ne stor general de come de conservant :
तंगठन से जैव सांख्यिकी में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।	भा पद भूम विश्वविद्य का प्रायन के से अपने प्रायन हुए है। भा पद भूम विश्वविद्य का प्रायनकों होना है।
टेप्पण 1 :—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्थित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक	
तेला आयोग के विवेकानसार शिथिल को जा सकती है।	परन स्पेत् कर्य कर्या सामगण के समय समय कर समय भोन सन्द्रवेन हैं और बोल बादन के स्पित सन्य वर्णभा र सन्य
रागा २ अनभव संबंधी अहता (अहताएं) सघ लोक सवा आयाग क	ে দিয়ালৰ আৰম্ভ আৰম্ভ কৰা বিদ্যালয় সময় ৫. দিয়ালৰ আৰম্ভ আইন্তা – বহা কৰাৰ অস
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की	মতা লৈ কালত আৰক্ষী হয়। মতা লৈ কাৰ্ব হাজিমান আৰক্ষী হয়ে আৰু আহলৈ হা লগ
ववकानुसार जनुष्तू पर्या जाता गणा पुरुष जु दू दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक	े याचल, आदेश द्वारा हिरोधान कर स्वर्धन्ति ।
दशा में तब शिथिल की जी संपत्ती रे जैन पान पानिस्तत रिक्तियों को भरने के लिए सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए	र . रहा यूनि इन विराध को कोई साथ, एस लग
सेवा आयोग को यह राय है कि उनके लिए जारपति रिजेर के प्रयोज संख्या में	कर्म साम हरा संख्या में स्थाय-समाम का तसकार वह जाताओ
सवा आयोग फी पर राज ए कि उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में	मेंगा जार सच्या विशेष प्रवेश के व्यक्तियों के कि व्यक्तिय व
उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	
And the second	
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां
भतों का पद्धति : भती साथ होगी भा प्रायस वास सम्मान उ तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
तथा विभिन्न पद्धातया द्वारा भर जान पारन पर मा हाय राज	12
11	लागू नहीं होता
सीधी भर्ती	real and the second
an encoding and the an an analysis and a state of the state	
<u> </u>	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आय
यदि विभागीय प्रोत्रति समिति है, तो उसकी संरचना	से परामर्श किया जाएगा।
The second s	3 0 L DOVEL 1999 14 (CLLS) - 34-
13	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय	
Use a that the second	करना आवश्यक है।
प्रोन्नति समिति : ——————————————————————————————————	भगवानि स्थिति सिंहल (हेकेलन में (स्थित
1. गृह सचिव, चंडीगढ़, प्रशासन	
 गृह सायप, पडारड़ मध्यप् गृह सायप, पडारड़ मध्यप् सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन —सदस्य 	
क मार्ग भाराविज्ञान महाविद्यालय और	
 प्रधानाचाय, सरकारा आनुप्रधान गर्दस प्रधान के जिल्लाम् प्रधान के जिल्लाम त्या के जिल्लाम् प्रधान के जिल्लाम के जिल्लाम् प्रधान के ज	Let Chicks
अस्पताल, पंडानः 4. संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष,	range - Mariant
4. संबंधित विभाग का आधाय आराम में प्रस्पताल चंडीगढ — सदस्य	
सरकारी आयविज्ञान महाविधालय आर जस्तारा, विवर्ष	[फा. सं. वी-24011/12/2002-एम ई डेस्व
	एस. के. मिश्रा, अवर
क अयदेष्य के किया विदिय की गई है।	भूती सिर जाने वाले ज्यांकाये के लिए अपरित श्रीकाद लोग
ज न वह वाएं सीचे पती किए चान वाले मारिवोजा को सर्जान कर	the datate position hand, as made on the second

New Delhi, the 22nd January, 2003 G.S.R. 57.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the Preside hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Statistician-cum-Senior Lectur

(Community Medicine) in the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, namely :--1. Short title and commencement .---(1) These rules may be called the Government Medical College and Hospit Chandigarh, Statistician-cum-Senior Lecturer (Community Medicine) (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment Rules, 200 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.) FERENCE (FERENCE)

भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : फरवरी 8, 2003/माघ 19, 1924

2. These rules shall apply to the post as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay .- The number of the said post, its classification and the scale

f pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said, Schedule.
4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and ther matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said schedule.

5. Disqualification .- No person-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, hall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law pplicable to such person, the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person on the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it nay, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any f the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special ategories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

lame of ost	No. of post	Classification Sc		Whether selection by merit or Selection-cum- seniority or non-selection post	Age limit for direct recruits Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6 bis second and the second seco
Medicine)	01* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	on - Chus as - Lino as - Lino	18,600- 500-20-1	50- applicable	Not exceeding forty five No years (Relaxable for Government servants upto five years in accord- ance with the instructions or orders issued by Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of appli- cations from candidates in India (and not the
	inny Reputing Photos			ET STREEM	closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya,
		ton Coontever - Chartnen - Methori or Methori verter fact	amethony : dravion, dravion figari, u Methoni . Chandiga of the can	 A. Jispanning found A. Abums found Abums found	Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Naga- land, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division

A STATEMENT OF A STAT

Aucational and Aucations iner qualifications equired for direct excruits	Whether age ar educational qua fications prescr for direct recrui will apply in the case of promote	li- probation, ibed if any ts	direct recru or by dep	recruitment whe itment or by pro- utation/absorpti- of the posts to methods	on and
a strand Barrison American	9	10	$\sim q_{2} q_{3} q_{4} \epsilon [t] 1 $	later fille apairs	
ssential: (i) M. Sc. (Statistics) from a re- ognized University/institution or quivalent.	Not applicable	One year for direct recruits	Direct recru	uitment	n d guine fie
i) Five year's teaching experience hbio-statistics in a recognized fedical College/Institution/ fedicalAutonomousOrganisation.		lan indi asalar se ta ta t 1 seli neli hasar ta ta ta 1	o othes payly to the		ot oldinaliji
OR) M.Sc. (Statistics) with Ph.D. Bio-Statistics or Behavioral cience)from a recognised Univer- ity/Institution or equivalent.	bersons.	endi la setementa en el for Ineccolte il concentratore ge 10 vicestro revendo vite i en	a halaa gaaraa a halaa gaaraa		
ii) Three years' teaching xperiencein Bio-Statistics from a ecognisedMedical College/Insti- ution/Medical Autonomous	abaset Divisional	Internet is selected to the selected selected by the selected selected by the selected sel	ostan anacesto	sector scientification	
Organisation. Note 1 : Qualifications are	an a		a a series a series de la series	and the second second second	an a sharan ar
elaxable at the discretion of the Inion Public Service Commission in case of candidates otherwise	lanadi, A Salimoti ji se	ection benefit of -	and monophical	No. X. off Iprist	
vell qualified. Note 2 : The qualification(s) re- garding experience is/are relaxable		Schonicar schiotity er not-sciection			
t the discretion of the Union Pub- ic Service Commission in the case	and a second second second	post		an a	
of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Sched-		arte de la companya d Recentra de la companya de la company	NATE OF STREET	Street of	n an Start a Start an Start an Star
aled Tribes. If at any stage of se- ection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates	(外) 812.57 一切	dobiingo Proteika (2045) Maria Proteika	Same Gaup 1	et solvest agy or reference	ແຫຼ່ງດີເທດ ແຮງແຮ່ງ ຄຸດຄາກຳໃນ
rom these communities possess- ng the requisite experience are not ikely to be available to fill up the				biole ton no-	(MICALS)
posts reserved for them.	IT optime some				an taliya y
In case of recruitment by promotio absorption, grades from which pro- deputation/absorption to be made	motion/	If a Departmental Pror Committee exists, wha composition	at is its Uni Cor	cumstances in wh on Public Servic nmission to be c naking Recruitme	e onsulted
12		13		14	tak j
Not applicable	Grou (for C 1. Ho Ch 2. Sea an Ac 3. Pri Cc 4. Pu De	p'A' Departmental Prom Considering Confirmation me Secretary, andigarh Administration. cretary, Medical Education d Research, Chandigarh Iministration. incipal, Government Medic ollege and Hospital, Chance rofessor and Head of the op partment of Government ollege and Hospital, Chance	n): —Chairman —Member cal ligarh. —Member concerned Medical ligarh. —Member		Service necessary.

	and the second	
0		\$2.9
[भाष्य-खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : सितम्बर 11, 2004/भाद्र 20, 1926 1827	
	New Delhi, the 31st August, 2004	
hereby makes the followi Haematology and Blood 7	exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President ng rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Immuno Fransfusion), Reader (Immuno Haematology and Blood Transfusion), and Senior Lecturer (Immuno Transfusion) (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002, namely :—	यको
Haematology and Blood	es may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Immuno Transfusion), Reader (Immuno Haematology and Blood Transfusion) and Senior Lecturer (Immuno Transfusion) (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2004.	A production of the second sec
(2) They sha	ll come into force on the date of their publication in the Official Gazette.	
Transfusion), Reader (In Blood Transfusion) (Gr	ernment Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Immuno Haematology and Blood mmuno Haematology and Blood Transfusion) and Senior Lecturer (Immuno Haematology and oup 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules) in sub-figures "2002", the figures "2003" shall be substituted.	ह क,
3. In the said n	ules, in the Schedule against the post appearing at serial number 2,	
"Selectio	ntry under column 5, the following entry shall be substituted namely :— m, basis and analysis of reducer of the basis from solar technology of the technology of the basis of the basis m,	
	entry under column 13, the following entries shall be inserted namely :	रामर्श
"Group"	A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation), consisting of :	
I. Home Se	ecretary, Chandigarh Administration —Chairman	प्र.)]
and the second	y, Medical Education and Research Chandigarh Administration —Member	. सचिव
The second s	I. Government Medical College and Hospital, Chandigarh —Member	2 द्वारा
4. Professo Medical	or and Head of the concerned Department of Government College and Hospital, Chandigarh —Member	
	[No. V24011/12/2002-ME Desk-II]	
र गुराह	av ste "2000" of the first frage south for the first for Purity S. K. MISHRA, Under Secy.	and a second
	ipal rules were published vide number G.S.R. 60, dated the 22nd January, 2003.	ident tules.
and the period B		. Koji m
	307.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान	ment)
महाविद्यालय और अस्पताल	त, चंडीगढ़, सांख्यिकी-विद्-सह-ज्येष्ठ प्राध्यापक (सामुदायिक चिकित्सा) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—	pro <u>a</u> b
1. (1) इन निय (सामुदायिक चिकित्सा) (र	नमों का संक्षिप्त नाम। सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, सांख्यिकी-विद्-सह-ज्येष्ठ प्राध्यापक समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।	entry
	जपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।	
2. सरकारी आर् 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नि स्थान पर''2003''अंक रर	र्युर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, 'चंडोगढ़, सांख्यिको-विद्-सह-ज्येष्ठ प्राध्यापक (सामुदायिक चिकित्सा) (समूह नयम, 2002 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 1 के उपनियम (1) में ''2002'' अंकों के खे जाएंगे।	pheri
3. उक्त नियमों व	की अनुसूची के स्तंभ 4 के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर '' 14300-400-15900-450-18150 रु॰'' प्रविष्टि रखी जाएगी	Union
	[सं॰ ची॰-24011/12/2002-एम ई डेस्क-II]	
MISHRA LINE For	एस॰ के॰ मिश्रा, अवर सचिव	r Secy.
पाद टिप्पण : मूल नियम	। सा॰का॰नि॰ सं. 57, तारीख 22 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।	dated
-63867/04-	The second of the second se	

*****.

ANCE!

New Delhi, the 31st August, 2004

G.S.R. 307.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Statistician-cum-

1. (1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Statistician-cum-Senior Lecturer (Community Medicine) (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Statistician-cum-Senior Lecturer (Community Medicine) (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules) in sub-rule (1) of rule 1, for the figures "2002", the figures "2003" shall be substituted as a sollo Disclosed moments of the

3. In the said rules, in the Schedule for the entry under column 4, the entry "Rs. 14300-400-15900-450-18150" shall be substituted. trais f. ind inc figures "2003", the figures "2003" shall be substituted.

S 10/11/00 Isroe In Successful food and 12/11/02 Statebored [No. V-24011/12/2002-ME Desk-II]

visition bolunische aussi aussi and the article off, & unition tobut visite and the Secy.

Footnote: The Principal rules were published vide number G.S.R. 57, dated the 22nd January, 2003.

ति स्वर्ण के मार्ग between as a **वर्ड दिल्ली, 31 अगस्त, 2004** के बार्क्साउट sobrative as a same and

सा. का. नि. 308.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्न्दिझन महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, ज्येष्ठ प्राध्यापक जैव भौतिकी (शरीर क्रिया विज्ञान) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 का

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, ज्येष्ठ प्राध्यापक जैव भौतिकी (शरीर क्रिया विज्ञान) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है। animation and the advection of the concerned incomments

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। ताह stand . Istigzoff bus ogsite a solition

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, ज्येष्ठ प्राध्यापक जैव भौतिकी (शरीर क्रिया विज्ञान) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती तियम, 2002 के नियम 1 के उपनियम (1) में ''2002'' अंकों के स्थान पर ''2003'' अंक रखे जाएंगे। ों है के अने तर विश्व कार्य कार्य कार्य कार्य कर से दिया कार्यवाय करना के तया व**सिंल वी०-24011/12/2002-एम ई डेस्क-**[[]

The second second start and the second s

एस॰ के॰ मिश्रा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सा॰का॰नि॰ सं॰ 56, तारीख 22 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। हित्राच्या) (स्टब्स् के प्रजीसमित पर्ट) मनी निगम

New Delhi, the 31st August, 2004

G.S.R. 308.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturer in

1. (1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturer in Biophysics (Physiology) (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturer in Biophysics (Physiology) (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment Rules, 2002 in sub-rule (1) of rule 1, for the figures "2002", the figures "2003" shall be substituted.

In the second second

प्रसुः के सिखा, आवर सावन

1828

[No. V-24011/12/2002-ME Desk-II]

S. K. MISHRA, Under Secy.

Footnote: The Principal rules were published vide number G.S.R. 56, dated the 22nd January, 2003.

D

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2003

सा. का. नि. 59.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में ज्येष्ठ प्राध्यापक सह-जानपदिक रोग विज्ञानी समूह 'क' राजपत्रित पद (सामुदायिक चिकित्सा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थ्यात् :—

 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, ज्येष्ठ प्राध्यापक सह-जानपदिक रोग विज्ञानी (सामुदायिक चिकित्सा) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : — उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वीक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरहेता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जातां है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति :— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनमनी

				अनुसूर		
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन-सह- ज्येष्ठता अध्		सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनु- ज्ञेय है या नर्ह
		1.1		अचयन पद	50 425	
1	2	3	4	5	6 -	7
ज्येष्ठ प्राध्यापक सह- जानपदिक रोग विज्ञानी (सामुदायिक चिकित्सा)	01* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क' राजपत्रित	14300-400- 15900-450 18600-500- 20100 ফ.	लागू नहीं होता	पैतालीस वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अर्भ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अर्भ्यार्थियों के लिए विहित की गई है।)	नहीं

ोधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	AGHA 19, 1924 सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	
	9	10	
8 आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिपद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूची में सम्मिलित कोई मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना	लागू नहीं होता।	एक वर्ष	
चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम.डी. (सामाजिक और निवारक आयुर्विज्ञान)/एम.डी. (सामाजिक और निवारक आयुर्विज्ञान) या समतुल्य। (iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेपज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में प्राध्यापक/रजिस्ट्रार/सीनियर रेजिडेंट/परिदर्शक/ट्यू.टर के रूप में 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव। (iv) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्यिज्ञान महाविद्यालय/संस्थान/आयुर्विज्ञान स्वशासी संगठन से जैव सांख्यिकी में 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव। टिप्पण 1—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2:—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		मेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे	
का में कि जिस या प्रतिनियक्ति/आमेलन द्वारा	ग्रीन्नीत/प्रीतीनयुविणिजन श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्र	प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रालात होरा पा प्राला गु	211 1 11 1		
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोत्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	12		
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रात्रात द्वारा या प्राता गुज्य तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 11	A REAL PROPERTY AND A REAL		
तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भेर जाने याले न्या सा स	12 लागू नहीं होता	रेस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग	
तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भेर जान पाल प्या आ आजि 11 सीधी भर्ती	12 लागू नहीं होता भर्ती करने में किन पी से परामर्श किया जाए	रेस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग गा	

.स. वा. 24011/12/2002 एस. के. मिश्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd January, 2003

G.S.R. 59.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Lecturer-cum-Epidemiologist (Community Medicine) in the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturer-cum-Epidemiologist (Community Medicine) (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. These rules shall apply to the post as specified in column (1) of the Schedule Annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. — The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. Disqualification .- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post Classific		Scale of Pay	Whether selection by merit or Selection-cum- seniority or Non-selection post
	2	3	4	5
Senior Lecturer-cum- Epidemiologist (Community Medicine)	01* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 14300-400- 15900-450- 18150 PLUS Non Practicing Allowance.	Not applicable

ge limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications
Iot exceeding fifty years Relaxable for Government Servants pto five year's in accordance with the istructions or orders issued by the Central Government. Note : The crucial date for determin- ing the age-limit shall be the closing ate for receipt of applications from andidates in India (and not the losing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Aizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, ikkim, Ladakh Division of Jammu and Cashmir State, Lahaul and Spiti District nd Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman nd Nicobar Islands or Lakshadweep).	No	 Essential: (i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register. (ii) M.D. (Social and Preventive Medicine)/M.D. (Community Medicine) from a recognized University/Institution or equivalent. (iii) Three year's teaching experience in the concerned speciality after acquiring postgraduate qualification as Lecturer/Registrar/Senior Resident/Demonstrator/Tutor in a recognized Medical College/Teaching Institution. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes. If, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.
Whether age and educa- ional qualifications pres- probation probation probation if any will apply in the case of promotees		ther In case of recruitment by promotion/ promo- deputation/absorption, grades from tion which promotion/deputation/absorption
9 10	11	12
Not applicable One year	Direct recruitment	Not applicable
If a Departmental Promotion Committee	exists, what is	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13		14
 Group 'A' Departmental Promotion (for Considering Confirmation) : Home Secretary, Chandigarh Administration Secretary, Medical Education and Chandigarh Administration Principal, Government Medical Co and Hospital, Chandigarh Professor and Head of the Concerr Department of Government Medic College and Hospital, Chandigarh 	—Chairman Research, —Member bllege —Member ned	
		J.K. MISTICA, ONUT See

भारत का राजपत्र : सितम्बर 11, 2004/भाद्र 20, 1926

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2004

सा. का. नि. 304.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, ज्येष्ठ प्राध्यापक (रोग लक्षण मनोविज्ञान) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, ज्येष्ठ प्राध्यापक (रोग लक्षण मनोविज्ञान) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, ज्येष्ठ प्राध्यापक (रोग लक्षण मनोविज्ञान) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 के नियम 1 के उपनियम (1) में ''2002'' अंकों के स्थान पर ''2003'' अंक रखे जाएंगे।

[सं॰ वी॰-24011/12/2002-एम ई डेस्क-II]

एस॰ के॰ मिश्रा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. सं. 58, तारीख 22 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 31st August, 2004

G.S.R. 304.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturer

1. (1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturer (Clinical Psychology) (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturer (Clinical Psychology) (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment Rules, 2002, in sub-rule (1) of rule 1, for the figures "2002", the figures "2003" shall be

[No. V.-24011/12/2002-ME Desk-II]

S. K. MISHRA, Under Secy.

Footnote: The Principal rules were published vide number G.S.R. 58, dated the 22nd January, 2003.

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2004

सा. का. नि. 305.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, ज्येष्ठ प्राध्यापक सह जानपदिक रोग विज्ञानी (सामुदायिक चिकित्सा) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, ज्येष्ठ प्राध्यापक सह–जानपदिक रोग विज्ञानी (सामुदायिक चिकित्सा) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, ज्येष्ठ प्राध्यापक सह-जानपदिक रोग (सामुदायिक चिकित्सा) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 के नियम 1 के उपनियम (1) में ''2002'' अंकों के स्थान पर ''2003'' अंक रखे जाएंगे।

[सं॰ वी॰-24011/12/2002-एम ई डेस्क-II]-

एस॰ के॰ मिश्रा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. सं. 59, तारीख 22 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

2638 912/04-4.

New Delhi, the 31st August, 2004

G.S.R. 305.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturer-cum-Epidemiologist (Community Medicine) (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturer-cum-Epidemiologist (Community Medicine) (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturer-cum-Epidemiologist (Community Medicine) (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment Rules, 2002, in sub-rule (1) of rule 1, for the figures "2002", the figures "2003" shall be substituted.

[No. V.-24011/12/2002-ME Desk-II]

S. K. MISHRA, Under Secy.

Footnote: The Principal rules were published vide number G.S.R. 59, dated the 22nd January, 2003.

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2004

सा. का. नि. 306.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान और रक्ताधान) उपाचार्य (प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान और रक्ताधान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान और रक्ताधान) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान और रक्ताधान) उपाचार्य (प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान और रक्ताधान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान और रक्ताधान) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान और रक्ताधान) उपाचार्य (प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान और रक्ताधान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान और रक्ताधान) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 1 के उपनियम (1) में ''2002'' अंकों के स्थान पर ''2003'' अंक रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों की अनुसूची में क्रम संख्यांक से संबंधित पद के सामने,—

- (i) स्तंभ 5 के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--
 - "चयन"

(ii) स्तंभ 13 के अधीन प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

''समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :--

1.	गृह सचिव, चंडीगढ, प्रशासन	—अध्यक्ष
2.	सचिव, अयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन	—सदस्य
3.	प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़	—सदस्य
4	. संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष,	
	सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ्	-सदस्य''

[सं. वी.-24011/12/2002-एम ई डेस्क-II]

एस॰ के॰ मिश्रा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मल नियम सा.का.नि. सं. 60, तारीख 22 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।